पत्रावली बमुकाम कैम्प झाफली कलां
6/6/18 पेश हुई।

प्रार्थी सं. 1 मय वकील उपस्थित।

वकील प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल मिसल हो। वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि हमें राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत आदेश क्रमांक/3726 दि० 30-3-18 को ग्रेवल सड़क डामर रोड़ से जाटों की ढाणी तक चार किलोमीटर तक की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी हो गयी है अतः प्रार्थीगण को आवागमन हेतु उक्त ग्रेवल सड़क से सुविधा प्राप्त हो जायेगी अतः प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता की प्रार्थीगण को आवश्यकता नहीं रही है अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र जरिये विद्ड्रो खारिज किये जाने के आदेश प्रदान करावे। पोकरराम

हमने वकील प्रार्थी को सुना एवं दस्तावेजों का अवलोकन किया मनरेगा की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण को रास्ते की सुविधा प्राप्त हो गयी है लिहाजा प्रार्थीगण का आवेदन (प्रार्थना-पत्र) स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण का मूल आवेदन जरिये विड्रॉ खारिज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं।

पत्रावली फैसल शुमार होवें नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।
निर्णय मजमे आम कैम्प झाफली कलां सुनाया गया।

Scanned by CamScanner